



जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश



**सुरक्षा उनकी
जो हमें रखें जागरूक**



पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

प्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुरक्षा

- स्वास्थ्य बीमा रुपये 4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रुपये 10 लाख का होगा। साथ ही स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का भी विकल्प होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 70 वर्ष की उम्र के बाद भी योजना के पात्रता होंगे।
- बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 65 वर्ष की संचार प्रतिनिधियों की बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- पति, पत्नी, बच्चों (अधिकतम 25 वर्ष के तीन अविवाहित) एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी।
- जनसंपर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फार्म 16 एवं पी.पी.एफ. कटौती की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी अधिमान्यता श्रेणी में पात्रता होगी।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी।
- बीमा के लिये किये गये आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र गलत पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बीमा समाप्त किया जा सकेगा।
- गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक

समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं जनसंपर्क संचालनालय/डी.ए.व्ही.पी. में पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। इसमें निर्धारित संख्यानुसार प्रथम प्राप्ति 4/2 आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। आर.एन. आई. में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।

- 65 वर्ष से अधिक उम्र के संचार प्रतिनिधियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देय होगा।
- पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिह्नित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी जिसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड, ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा।
- योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसंपर्क की वेबसाइट www.mpinfo.org में उपलब्ध है। प्रीमियम को NEFT कर यू.टी.आर. नंबर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन <https://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx> लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर-अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म हैं। निर्धारित फार्म ही भरें।
- तालिका में पत्रकार पति-पत्नी एवं बच्चों का प्रीमियम जोड़कर दिया गया है। माता-पिता का प्रीमियम अलग से तालिकानुसार जोड़ना होगा।

नोट : अधिमान्य पत्रकारों की नयी बीमा पॉलिसी 4 अक्टूबर 2025 और गैर अधिमान्य पत्रकारों की 1 नवम्बर 2025 से शुरू होगी।

संपर्क :

- श्री एस.पी. नाग वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भोपाल। मो. 9425375038, 0755-2555338
- सक्षम अधिकारी यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस, भोपाल।
मो. 7305015820, फोन नं. 0755-2767803
- पत्रकार कल्याण शाखा, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल। फोन नं. 0755-4096320
- बीमा पॉलिसी के कार्ड और क्लेम संबंधी जानकारी के लिये-
एम.डी. इंडिया, फोन नं. 0755-4936991
मो. 7391054038 (अनिल) एवं 8956129648 (अरुण मारन) से संपर्क करें।
- अधिक जमा प्रीमियम राशि हेतु : ई-मेल uiicdo2bpl.jins@gmail.com.

**आवेदन प्राप्त
होने की
अंतिम तिथि
22 सितम्बर
2025**

नोट : यदि पत्रकार अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों को भी योजना में शामिल कराना चाहते हैं, तो तालिका में दर्शाए गए आयु वर्ग के अनुसार प्रीमियम राशि यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय ब्रांच, एम.पी. नगर, भोपाल खाता क्र. 900520100000291, IFSC कोड-BKID 0009005, MICR कोड-462013006 में NEFT/UPI/Netbanking के माध्यम से करें। Online जमा की गई राशि का UTR/Payment ID नंबर आवेदन-पत्र में भरें।

पत्रकारों के हित में - मध्यप्रदेश सरकार